


56



111/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2367

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 111/निगरानी/अशोकनगर / भू.रा./ 2017

गनपत सिंह पुत्र श्री लदूरी आयु 60
साल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
विजयपुरा तहसील ईसागढ जिला
अशोक नगर म.प्र.

श्री. वि. पी. पाटिल पी.पी.पी.
द्वारा आज दि. 26-7-2017 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
26.7.17

✓ Shm

..... आवेदक

बनाम

1. रामराजा पुत्र सबदल सिंह , निवासी
ग्राम विजयपुरा तहसील ईसागढ जिला
अशोकनगर म.प्र.
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सारसखेडी तहसील ईसागढ
जिला अशोक नगर प्रकरण क्रमांक 15/ अ-12/2016-17/
द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरुद्ध निगरानी
प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम विजयपुरा तहसील ईसागढ जिला
अशोक नगर द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 378 रकवा 1.327 हेक्टर एवं
भूमि सर्वे क्रमांक 377/1 क रकवा 0.470 हे. का सीमांकन कराया
गया । परन्तु आवेदक को कोई सूचना नही दी गई और ना ही
मेढिया कृषक को सूचना नही दी गई। आवेदक को बगैर बुलाये

3


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2367

गनपत सिंह विरुद्ध रामराजा व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदांक/सं. निमा/सं.सं.सं.
17-06-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़, जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़, जिला-अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 08-08-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	


(आर.के. जैन) 119
सदस्य

3